न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, चितौड़गढ़ (राज.)
पीठासीन अधिकारी **गितेश श्री मालवीय,** आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 05/2020 (रा.गु.नि.)
पंजीयन दिनांक 22.12.2020
G.C.M.S. NO. :- 2020/00110

सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

–प्रार्थी

बनाम

श्री राकेश पिता फुलिया जाति कंजर, निवासी हरिपुरा, थाना पारसोली, जिला चित्तौड़गढ़

–गैरसायल

कार्यवाही : अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्ड़ा नियंत्रण अधिनियम, 1975

उपस्थिति : 1– अभियोजन अधिकारी, राजकीय पैरोकार
2– श्री के. सी. शर्मा, अधिवक्ता गैरसायल

निर्णय

दिनांक 16.12.2022

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा गैरसायल के विरूद्ध राजस्थान गुण्ड़ा नियंत्रण अधिनियम, 1975 धारा 3 के तहत इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि गैरसायल हरिपुरा, थाना पारसोली, जिला चितौड़गढ़ का निवासी होकर उक्त व्यक्ति आपराधिक प्रवृति का है। दिनों–दिन इसकी आपराधिक गतिविधियां बढती ही जा रही है। यह व्यक्ति चोरी, नकबजनी, डकैती, की तैयारी, आबकारी अधिनियम एवं आर्म्स एक्ट जैसे संगीन अपराध कर अवांछनीय समाज विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहने का आदि है। इस व्यक्ति के भय से आम जनता इतनी भयभीत है कि कोई भी व्यक्ति इसके

विरूद्ध गवाही देने अथवा शिकायत करने से कतराता है। अतः गैरसायल के विरूद्ध राजस्थान गुण्ड़ा नियंत्रण अधिनियम, 1975 धारा 3 के तहत कार्यवाही की जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को तलब कर नोटिस सुनाया गया। गैरसायल की ओर से अधिवक्ता श्री के. सी. शर्मा ने अधिकार पत्र प्रस्तुत किया। गैरसायल को आगामी तारीख पेशी पर उपस्थित होने हेतु जमानत एवं मुचलके प्रस्तुत करने के आदेश दिये। गैरसायल द्वारा आदेश की पालना में मुचलका एवं जमानत पत्र प्रस्तुत किये जिसे बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया।

अभियोजन अधिकारी द्वारा साक्ष्य पैरवी में श्री गोपाल सिंह स. उ. नि. हाल थाना भादसोड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ के बयान कराये। अधिवक्ता गैरसायल ने गैरसायल की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करके सीधे बहस हेतु निवेदन किया।

अभियोजन अधिकारी, पैरोकार सरकार का मुख्य कथन यह रहा कि गैरसायल आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति है, दिनों-दिन इसकी आपराधिक गतिविधियां बढती ही जा रही है। यह व्यक्ति चोरी, नकबजनी, डकैती की तैयारी, आबकारी अधिनियम एवं आर्म्स एक्ट जैसे संगीन अपराध करने का आदि है। इस व्यक्ति के भय से जनता इतनी भयभीत है कि कोई भी व्यक्ति इसके विरूद्ध गवाही देने का साहस ही नही करता है। गैरसायल के विरूद्ध इस्तगासे अनुसार कुल 03 प्रकरण दर्ज हुए हैः-

1-	प्र.सं. 191/07	धारा 457, 380 भा. द. सं.
2-	प्र.सं. 31/11	धारा 16/54 एक्साईज एक्ट
3-	प्र.सं. 26/13	धारा 16/54 एक्साईज एक्ट

गैरसायल को उक्त सभी 03 ही प्रकरणों में सजा हो चुकी है तथा उक्त प्रकरण में उपस्थित गवाह ने भी अपने बयानों में गैरसायल का आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होना व किसी भी व्यक्ति द्वारा इसके भय के कारण साक्ष्य नही देने के संबंध में इस्तगासे में अंकित तथ्यों की पुष्टि की है। गैरसायल के विरूद्ध दर्ज उक्त प्रकरणों के तथ्यों के आधार पर उसे गुण्डा घोषित करने के

Web Copy - Not Official

पर्याप्त आधार उपलब्ध है। अतः गैरसायल को गुण्डा घोषित करते हुए इस जिले से 6 माह की अवधि के लिए निष्काषित करने के आदेश फरमाये जावे।

गैरसायल तथा उसके अधिवक्ता ने मौखिक रूप से इस्तगासे में वर्णित आरोपों को स्वीकार करते हुए निवेदन किया कि इस्तगासे में वर्णित सभी प्रकरण पुराने होकर उनका निस्तारण हो चुका है वर्तमान में गैरसायल ने अपने में सुधार कर मेहनत मजदूरी कर शान्तिपूर्वक अपना व अपने परिवार का जीवन–यापन कर रहा है। उक्त प्रकरणों के बाद गैरसायल के विरूद्ध किसी भी धारा के आपराधिक मामले दर्ज नहीं हुए हैं। मौहल्ले या गांव में कोई शांति भंग नहीं की है। गैरसायल के खिलाफ ऐसा कोई आपराधिक मामला निर्णित नहीं हुआ है जिससे आम जनता में भय व्याप्त हो, या आम जनता की सम्पत्ति का नुकसान हो रहा हो। गैरसायल भारतीय दण्ड संहिता के अध्याय 15, 17 व अध्याय 22 के अधीन आने वाले अपराध करने की दुष्प्रेरणा मे न तो लगा हुआ है और न ही ऐसे अपराध कर रहा है। गैरसायल के विरूद्ध किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई शिकायत पुलिस में दर्ज नही कराई है। अतः सहानुभूति का रूख अपनाते हुए प्रकरण खारिज फरमाया जावे।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा एवं उपलब्ध अन्य अभिलेखों का गहनता से अवलोकन किया। गैरसायल के विरूद्ध वर्ष 2007 से 2013 तक कुल 03 प्रकरण दर्ज हुए हैं तथा उक्त 03 ही प्रकरणों में गैरसायल को सजा होकर दण्डित किया गया है। इस प्रकार गैरसायल जिले एवं उसके किसी भाग में धारा (2) के खण्ड (ब) के उपखण्ड 1 से 8 में वर्णित कार्य करने में रत रहा है एवं उसके दुष्प्रेरण में लगा हुआ होना पाया गया है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन को स्वीकार करने के पर्याप्त आधार उपलब्ध है।

अतः राजस्थान गुण्ड़ा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के तहत गैरसायल राकेश पिता फुलिया कंजर निवासी हरिपुरा, थाना पारसोली, जिला चित्तौड़गढ़ को गुण्ड़ा घोषित किया जाता है एवं 01 माह के लिए जिला चितौड़गढ़ से निष्काषित करने का आदेश दिया जाता है। गैरसायल को पाबन्द किया जाता है कि वह दिनांक 26.12.2022 तक अपने आप को इस जिले से निष्काषित कर भीलवाड़ा जिले में प्रवेश कर ले। गैरसायल उक्त अवधि में अपनी उपस्थिति थानाधिकारी माण्डलगढ़, जिला भीलवाड़ा में देता रहेगा। उक्त क्षेत्र से अन्यत्र जाने से पूर्व गन्तव्य स्थान का पूर्ण पता थानाधिकारी माण्डलगढ़, जिला भीलवाड़ा के यहां दर्ज कराने के पश्चात वहां से प्रस्थान करेगा। थाना

Web Copy - Not Official

क्षेत्र माण्डलगढ़ में उपस्थिति के दौरान गैरसायल शिक्षण संस्थाओं, धार्मिक स्थानों मेलों, हाट बाजार, सिनेमा हाऊस व मनोरंजन के स्थानों से अपने आप को दूर रखेगा। इस अवधि में तेज धारदार हथियार, अस्त्र अथवा आयुद्ध, विस्फोटक अथवा ज्वलनशील वस्तु आदि उसके कब्जे में नही रखेगा।

'निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया।'

(गितेश श्री मालवीय)